

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्राप्ति 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... ११२६१

दिनांक ८-८-२०२१

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतदादारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकाइयानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण हसनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गुरु कृषा के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपके एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सप्तित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।


अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सप्तित धारा 90ए(5) एवं सप्तित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर)	स्वामित्व
निवारू तहसील जयपुर	58	1.6693	1. भौरिया पुत्र छोटू हि. 1/3 जाति मीणा सा.देह खातेदार
	59	1.6567	2. मोहिना पुत्र छोटू हि. 1/3 जाति मीणा सा.देह खातेदार
	60	0.3667	3. हनुमान पुत्र छोटू हि. 1/3 जाति मीणा सा.देह खातेदार
कुल किता 1	3.6927	हेक्टर	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कग्रा न. 312, पाकिंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपरिषित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियम समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावरित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ८-८-२०२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जौन-12 / 2022 / डी-

दिनांक :

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जौन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निझी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती कमला देवी मिश्रा पत्नि श्री दिलिप मिश्रा	श्रीमती अन्जु पोददार अन्जु पत्नि नरेन्द्र कुमार पोददार	329	43.62	जविप्रा योजना	बिन्दायका	नाम हस्तान्तरण	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर
2.	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रघुनाथ गोठवाल	श्री पूरण मल टेलर पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण टेलर	329	43.62	जविप्रा योजना	बिन्दायका	नाम हस्तान्तरण	अपंजीकृत मुख्यारनामा व रजिस्टर्ड विक्य पत्र

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जौन-12 कायालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

(Signature)
उपायुक्त जौन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा / जौन-12 / 2022 / डी- 22-65

दिनांक : ०४-४-२०२२

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... ०२२६६

दिनांक ०८-८-२०२१

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतदारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भिन्न गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हांसा विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपके पश्चात्यर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सप्तित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभियूति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः व्यां नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सप्तित धारा 90ए(5) एवं सप्तित राजस्थान अभियूति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा	स्वामित्व
भांकरोटा तहसील सांगानेर	175	1 बीघा 05 विस्वा	श्रीनारायण पुत्र लाला नि. भांकरोटा
	कुल किटा 1	1 बीघा 05 विस्वा	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.ग.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष के विज्ञाप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपरिथत होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावरित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ०८-८-२०२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जौन-12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्द्रिय सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....

०२२६९

दिनांक..... ०८०८२०२१

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतदारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकारानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रघुनाथ विहार विस्तार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभियृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः व्याप्त नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभियृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावर्सित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नब्बर	कुल रकबा	स्वामित्व
विजयपुराबास तहसील जयपुर	नानूसर	231	0.5185 हैक्टर हरीनाथ पुत्र शंकरनाथ हि. पूर्ण जाति जोगी सा. बिन्दायका खातेदार
		कुल किता 1	0.5185 हैक्टर

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि / अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञाप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पर्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपरिथित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावर्सित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकता।

नोटिस आज दिनांक ०८०८२०२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जान-12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सकिल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... ८२९२

दिनांक ०४-८-२०२१

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लापा गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण बाबा.आर.एन.गौड गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनियोग के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपको एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सप्तित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः कथों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सप्तित धारा 90ए(5) एवं सप्तित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरण कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टे. मे)	योजना का रकबा	स्वामित्व
सिरसी तहसील जयपुर	1692	0.9611	0.3204	भैरू पुत्र छोटू हि. 1/3 जाति रैगर सा. देह खातेदार
	1591	0.0632	0.0632	रामधन पुत्र रामचन्द्र हि. पूर्ण जाति रैगर सा. देह खातेदार
	1587	0.1770	0.0885	रामधन पुत्र नामालुम हि. 1/2 जाति रैगर सा. देह खातेदार
	1590	0.3162	0.1581	
	1601	0.3667	0.1833	
	1602	0.2150	0.1075	
कुल किता		2.0992	0.921	
6				

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायंत्र शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा रिथ्ट न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावरण कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ०४-८-२०२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/एवं उपायुक्त
जॉन-12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... १-२२८

दिनांक.... ०५-८-२०२१

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्ता भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतदारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भैरव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिंग की योजना देव नगर ए व बी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तांतरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावर्सित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकम (हैक्टरे में)	स्वामित्व
निवारु तहसील जयपुर	471	1.4038 हैक्टर में से 0.6030 हैक्टर	नन्ठीलाल पुत्र चौथा हि. 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार
	कुल किता 1	1.4038 हैक्टर में से 0.6030 हैक्टर	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.ग.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञाप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावर्सित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ०५-८-२०२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जौन-12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा—क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... ०-२२४०

दिनांक.....

०४-०८-२०२१

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतदारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना अशोक नगर—द्वितीय के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 “क”, धारा 91 सपष्टित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 “क” धारा 91 सपष्टित धारा 90ए(5) एवं सपष्टित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	क्य रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम निवारु तहसील जयपुर	40	7.7902	2.3370	गणेश पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा. देह खातेदार। तोफान पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा. देह खातेदार। पप्पू पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा. देह खातेदार।
कुल किता	1	7.7902	2.3370	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ०४-०८-२०२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्द्रिया सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... ८८४८३

दिनांक..... ०८-८-२०२२

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतदादारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरित होने के कारण श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना निर्मल नगर विस्तार-ए के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावर्सित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	क्य रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व	
ग्राम बोथावाला तहसील जयपुर	82	13.5316	1.5808	भैरुलाल पुत्र कालू हिस्सा 1/4 खातेदार।	जाति जाट सा. देह
कुल किता	1	13.5316	1.5808		

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपरिथित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावर्सित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ०८-८-२०२२ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्द्रिय सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... ८६

दिनांक..... ०४-४-२०२२

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्ता भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना बालाजी नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपके एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपष्टित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपष्टित धारा 90ए(5) एवं सपष्टित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरणित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	क्य रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम हाथोद तहसील जयपुर	350	1.8337	0.5058	छीतर पुत्र कल्याण हिस्सा 117 / 290 खातेदार।
कुल किता	1	1.8337	0.5058	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपरिथित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावरणित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ०४-४-२०२२ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

मेरी
प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्द्रि सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... ८९

दिनांक..... ०४-८-२०२१

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्ता भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी राहगति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण बदनपुरा (फकीरों की दृग्गरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना पवनपुरी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपके एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपष्टित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपष्टित धारा 90ए(5) एवं सपष्टित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरण कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	क्य रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम मांचवा तहसील जयपुर	403	0.5185	0.5185	मल्लूराम पुत्र बेणाराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई सा. रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला गंगानगर खातेदार।
कुल किता	1	0.5185	0.5185	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा. जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो गय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावरण कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ०४-८-२०२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

जोन-12

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101924

५८३३

दिनांक: ४।४।२२

लोक सूचना

श्रीमति MADHULIKA GOYAL पत्नी श्री DINESH GOYAL जाति MAHAJAN निवासी B196 UNIVERSITY MARG, 401 LANDMARK APARTMENT, GANDHINAGAR POLICE STATION, BAPU NAGAR , LAL KOTHI, JAIPUR 302015 and श्रीमति SHANTI DEVI GOYAL पत्नी श्री MADAN LAL GOYAL जाति MAHAJAN निवासी W/O MADAN LAL GOYAL, B196 UNIVERSITY MARG, 402 LANDMARK APARTMENT, OPPSTE GANDHINAGAR POLICE STATION, BAPU NAGAR , LAL KOTHI, JAIPUR 302015 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	स्थारी, आमेर (जयपुर)	SHANTI DEVI W/O MADAN LAL, MAHAJAN, H.NO. 434, SCHEME NO.2, ALWAR	115	2025	0.2025
2		MADHULIKA W/O DINESH KUMAR, MAHAJAN, H.NO. F 4 SUKHJEEVAN, JACAB ROAD, JAIPUR	143	900	0.09
3			144	2600	0.26
4			145	600	0.06
5			149	600	0.06
6			152	2300	0.23
7			153	4500	0.45
8			154	8000	0.8
9			155	1100	0.11
10			159	2600	0.26
11			160	2800	0.28
12			161	2300	0.23
13			163	2900	0.29
15			164	1700	0.17
			किटा-15		3.4925

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ४।४।२२ को जारी की गयी।

er
प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जौन-14/2022/डी-२४५२

दिनांक ५/८/२०२२

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्डों का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	B-59	200 व.ग.	श्री हनुमान शर्मा पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा	श्री गणपति गृ.नि.स.स.लि	गणेश विहार विस्तार
2	B-58	200 व.ग.	श्री मनोज कुमार सैनी पुत्र श्री नन्छी लाल सैनी	श्री गणपति गृ.नि.स.स.लि.	गणेश विहार विस्तार

उक्त भूखण्डों का आवेदकों के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो गय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपरिख्यत होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जौन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

२०२२-०८-१४
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-२८५२

दिनांक १४.०६.२०२२

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा लिए आवेदन किया गया	जिसके हेतु प्रस्तुत दस्तावेज	कार्यवाही
1	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा	श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा	एल-४	५३ व. मी.	निजी खातेदारी	श्री साई रेजीडेन्सी-३	लीज होल्ड से फ़ी होल्ड लीजडीड हेतु	स्व घोषणा पत्र, समर्पण प्रारूप-२, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सजारा प्रमाण पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र, पहचान पत्र	


उक्त भूखण्डों का आवेदकों के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से ७ दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

२१-
उपायुक्त जोन-१४
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-१४
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-२१८।

दिनांक : ५. ८-२०२२

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में स्थित जविप्रा/निजी खातेदार की योजना में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुआ है उक्त भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1.	ई-367	रघुनाथ विहार	श्री पवन कुमार पुत्र श्री सोमदत्त जांगिड

उपरोक्त अंकित आवेदक के रजिस्टर्ड विक्य पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण पत्र/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को उक्त प्रोग्राम का समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा / उपा. / जौन-12/2022/डी- २१६९

दिनांक २५-८-२०२२

-: सार्वजनिक सूचना :-

निजी खातेदारी की आवासीय योजना वसन्त विहार के भूखण्ड संख्या 252 क्षेत्रफल 200.00 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	252	200.00	वसन्त विहार	श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री लाल लाल	श्री देवेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जैन, निवासी-फ्लैट नं. -40, कृष्णा कृपा-।, सुभाष नगर, जयपुर।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जौन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जौन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर नियोगिता है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जौन-12
जविप्रा, जयपुर

PRO-R. 25
10/8/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- २१७५

दिनांक ०५-८-२०२२

—: सार्वजनिक सूचना :—

निजी खातेदारी की आवासीय योजना सनसिटी के भूखण्ड संख्या एन-66 क्षेत्रफल 170.00 व.मी. का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	एन-66	170.00	सनसिटी	श्री एम.एल.जेठी पुत्र श्री पी.एल जेठी	श्री यतिन जेठी पुत्र स्व. श्री मदन लाल जेठी, निवासी-600 सेक्टर-21, पंचकुला-134112 हरियाणा


आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का अम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

PRO/R249
10/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जौन-09/2022/डी- ६९२।

दिनांक:- ६/८/२०२२

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया हैं। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञाप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	103-A North part	134.36 व.ग	अशोक विहार	पुष्पा देवी पत्नी श्री घनश्याम मेर्ठी	श्री रामचन्द्र दासवानी पुत्र श्री फतन लाल दासवानी	विक्रय पत्र एवं गृ.नि. स.स. द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर।

✓ २९
उपायुक्त जौन-९,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जौन-९

जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावे।

✓ २९
उपायुक्त जौन-९
जविप्रा, जयपुर।

✓ २९
R-248
10/8/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा / उपा. / पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2022 / डी-३६६८ दिनांक - १०/५/२०२२

-आम सूचना:-

मैनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना— बालाजी विहार—बी का आवंटन/नियमन कराने हेतु बालाजी विहार—बी विकास समिति द्वारा प्रत्युत किया गया है, जो ग्राम-बलरामपुरा उर्फ खेजड़ों का बास, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नगरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र.सं.	ग्राम/ तहसील	खसरा नं.	रकबा	सम्पूर्ण/आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम-बलरामपुरा उर्फ खेजड़ों का बास, तहसील-सांगानेर	198	0.62	रामपूर्ण/आंशिक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
	कुल	1	0.62 हैक्टेयर योजना मानचित्रानुसार		

उक्त योजना में रिथत भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है—

भूसं	नाम	पता	एरिया
1.	सीताराम पुत्र श्री श्रवण	ग्राम खेजड़ो का बास सांगानेर	232.82
2.	सन्तोष पुत्री श्री श्रवण	ग्राम खेजड़ो का बास सांगानेर	306.66
3.	प्रभू पुत्र कालूराम	ग्राम बाढ़ मोहनपुरा सांगानेर	331.11
4.	कलहैयालाल पुत्र बरदीचन्द	ग्राम मोहनपुरा सांगानेर	355.55
5.	वेदप्रकाश शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा	दादूदयाल नगर सांगानेर	380
6.	श्रवण पुत्र भोलूराम	ग्राम खेजड़ो का बास सांगानेर	270.88
7.	केली पल्नी श्री श्रवण	ग्राम खेजड़ो का बास सांगानेर	307.50
8.	प्रभूदयाल पुत्र भोलूराम	ग्राम खेजड़ो का बास सांगानेर	305.55
9.	गोपाली पल्नी प्रभूदयाल	ग्राम खेजड़ो का बास सांगानेर	294.58
10.	नन्दनी देवी पल्नी महेन्द्र	ग्राम मोहनपुरा सांगानेर	333.33
11.	महेन्द्र पुत्र तेजाराम	ग्राम मोहनपुरा सांगानेर	333.33
12.	लछमा पल्नी रामनारायण	ग्राम मोहनपुरा सांगानेर	333.33
13.	रामनारायण पुत्र विरदा	ग्राम मोहनपुरा सांगानेर	410.41
14.	अग्निता पुत्री बालूराम	ग्राम धौलाई सांगानेर	395.83
15.	राजेश पुत्र नानूराम	ग्राम धौलाई सांगानेर	333.33
16.	राधा पुत्री बालूराम	ग्राम धौलाई सांगानेर	333.33
17.	शिवराज चौधरी पुत्र नानूराम	ग्राम धौलाई सांगानेर	333.33
18.	गुल्ली देवी पल्नी नानूराम	ग्राम धौलाई सांगानेर	319.77

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय} : फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

19.

नानूराम पुत्र गोलूराम

ग्राम धौलोई सांगानेर

397.77

उक्त योजना— बालाजी विहार—बी, ग्राम—बलरामपुरा उर्फ खेजड़ों का बास तहसील सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर दिनांक 17.08.2022 को लगाया जाना नियत है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में कार्यालय पृथ्वीराज नगर (दक्षिण—द्वितीय), इन्द्र पथ सेक्टर-12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित आवासीय ब्लॉक की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/ नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानवित्र एवं सदस्यता सूची जिविप्रा की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

४

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय)
जिविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, पी.आर.एन. जिविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें। कृपया उपायुक्त पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय), जिविप्रा को कैम्प दिनांक से पूर्व विज्ञाप्ति की राशि से अवगत करावें। जिससे आवंटन की राशि के साथ यह राशि योजना के भूखण्डधारियों से प्राप्त कर सकें।


उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय)
जिविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-३६६६ दिनांक:- १०.८.२२

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कैलाश विहार-द्वितीय के भूखण्ड संख्या १-बी क्षेत्रफल ८००.०० वर्गगज का श्रीमती रेखा मेवाड़ा पत्नी श्री दिनेश स्वरूप मेवाड़ा एवं भूखण्ड संख्या १-सी क्षेत्रफल ७००.०० वर्गगज का श्री दिनेश स्वरूप मेवाड़ा पुत्र श्री जगदीश स्वरूप मेवाड़ा द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर १३८ व १३९ में सूचित हैं। उपरोक्त भूखण्ड खसरा नम्बर १३९ के सम्पूर्ण/आंशिक रूप से प्रभावित हैं। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक २०.१०.२०१४ के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारीयों को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।

॥

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

N.P. V.N.

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4853

दिनांक: 10/8/22

लोक सूचना

राकेश सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह, हिस्सा पूर्ण, जाति-जाट सा. मालासर वाया बढ़ागाँव, तहसील व जिला-झुंझुनू ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टैर)
तहसील-चौमू जिला-जयपुर	ग्राम-जैतपुरा	राकेश सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह	2846 / 2819	0.0534 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वकत प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 10/8/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
 जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जौन-08/2022/डी-2150

दिनांक 21.8.2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2) देखिए)

प्रशासन शहरों के रांग अधियान 2021 के अन्तर्गत


लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व/पश्चात की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारीसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव कॉलोनी 7 एवं लुनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कल्याण कुंज शिव कॉलोनी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ति हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरणित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय	हाल	खसरा	रकबा	स्वामित्व
तहसील	नम्बर	(हैक्टेयर)		
ग्राम सांगानेर	407, 417, 418,	0.90 है०		गणेशनारायण, भगवान सहाय, रामदास, रामनारायण पि० नानगा जाति माली सा.देह
तहसील सांगानेर	419, 420			


 उपराजपत्रकोश - 8
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या ५९५५

दिनांक ०४.८.२०२१

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतदसारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकारानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपके एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजरवं अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः व्यों नहीं निम्नांकित खातेदारों की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपष्टित धारा 90ए(5) एवं सपष्टित राजस्थान अधिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त

शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावर्सित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावें।

खातेदार का नाम

क्रं. सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. में)	नाम
1.	खेखावास तह. सांगानेर	जल महल गृ.नि.स.स.	विवेक नगर (सुन्दरम कॉलोनी)	349 358 359 360 361 362 378	0.02 0.44 0.17 0.22 0.19 0.23 0.05	ना. कगलेश पुरी रव. श्री रामसहाय संरक्षक माता मुनी देवी हि. 1/48, कगलेश पुरी रव. श्री महादेव हि. 1/24, ना. कल्याण पुत्र विरदा संरक्षक सरपरसत संरक्षिका गौरी हि. 1/8, ना. गुल्ला पुत्र विरदा संरक्षक सरपरसत संरक्षिका गौरी हि. 1/8, जगना देवी पत्नी रव. महादेव हि. 1/24, नारायण पुत्र महादेव हि. 1/24, ना. बाबू पुत्र विरदा संरक्षक सरपरसत संरक्षिका गौरी हि. 1/8, मंगला राम पुत्र श्रीया हि. 1/6, मनी देवी पत्नी रव. रामसहाय हि. 1/48, गोतीराम पुत्र महादेव हि. 1/24, रुपनारायण पुत्र रव. रामसहाय हि. 1/48, राजेश पुत्र रव. रामसहाय हि. 1/48, रामवन्द पुत्र श्योनारायण हि. 1/6, ना. साती पुरी रव. रामसहाय संरक्षक सरपरसत माता मनीदेवी हि. 1/48, सुरेश पुत्र रव. रामसहाय हि. 1/48 जाति गीना सा. देव खातेदार।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पर 17(1)नविवि/अभियान/2021/म.ग.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा रथानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-ए (8) की 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सहपष्टित धारा 90ए (5) राजस्थान कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सहपष्टित धारा 90ए (5) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तद्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुश्चाला आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 में किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार धोने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले से खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपति/सुझाव हो तो गय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में आपके खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को देखिया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा रिस्टर न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर आपनी आपति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपतियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावर्सित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ०४.८.२०२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गुद्रांक से जारी किया गया।

अमाधिकृत-अधिकारी
नोटिस जीन-९
राजस्थान

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या ५९६९

दिनांक ०४.८.२०२१

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं निम्नांकित खातेदारों की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

क्र.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रक्बा (हेक्टे. मे)	खातेदार का नाम
1.	जगतपुरा तह. सांगानेर	जल महल गृ. नि.स.स.	जगन विहार	367 371 374	0.17 0.06 0.25 कुल रक्बा 0.48	तोफल्या पुत्र गोपी हि. 1/3, बद्दी पुत्र हरदेव हि. 1/3, रामलाल पुत्र गन्नालाल हि. 1/3 जाति गीणा, सा. देह खातेदार।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प्रार्थना/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा रिथ्ट न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपति/सुझाव प्रतुत कर सकता है। नियत समय मे आपतियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक ०४.८.२०२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

७९

सुमित्रकृत अधिकारी
जाकिंगन्जपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पटटे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु दस्तावेज	प्रस्तुत
1	श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा	श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री मुरारीलाल	26	233.00	भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	नियमन के सम्बन्ध में।	
2	श्रीमती मंजू मोदी पत्नी श्री निरकार रवरूप मोदी	श्री रामदेव मोदी पुत्र श्री गौरी दत्त मोदी	35	272.27	भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	मूल दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।	
3.	श्री मनभर देवी पत्नी श्री सेडूराम कुम्हार	श्री मनभर देवी पत्नी श्री सेडूराम कुम्हार	38	233.3	भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	मूल दस्तावेजात् में भिन्नता के सम्बन्ध में।	
4.	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी रव.श्री हनुमान सहाय	श्री सीताराम शर्मा पत्नी श्री रूपनारायण शर्मा	14	216.00	भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	भूखण्ड की आपत्ति के सम्बन्ध में।	
5.	श्री राजेश कुमार काबरा पुत्र श्री सोहन लाल काबरा	श्री राजेश कुमार काबरा पुत्र श्री सोहन लाल काबरा	36	272.00	भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	भूखण्ड की आपत्ति के सम्बन्ध में।	
6.	श्रीमती गीतादेवी पत्नी सत्यनारायण	श्री नरेन्द्र कुमार पत्नी श्री गोपी कृष्ण	27ए	136.00	भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	भूखण्ड की आपत्ति के सम्बन्ध में।	
7.	श्री सोहनलाल पुत्र श्री बंशीधर	श्री सोहनलाल पुत्र श्री बंशीधर	37	भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	भूखण्ड की आपत्ति के सम्बन्ध में।	
8.	श्री अशोक कुमार	श्रीमती इन्द्र कंवर श्री	31ए	110.00	भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर	लीजडीड जारी	भूखण्ड की आपत्ति के	

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएस-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : [rajasthan.gov.in](mailto:(rajasthan.gov.in))

PRO/2021-22/161

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

संख्या	पूर्ति की वर्गीकरण की	विकास स्थिर	करने हेतु	सम्बन्ध में।	
9.	श्री शशीकला शर्मा श्री अग्रपत्नी शर्मा	श्री अवृंदा रिंड पुत्र श्री गोविंद रिंड पुत्र	32	200.00 भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर लीजडीड जारी करने हेतु भूखण्ड की आपत्ति के सम्बन्ध में।
10.	श्रीमती यायकी देवी पत्नी श्री द्विदल शर्मा	श्रीमती यायकी देवी पत्नी श्री द्विदल शर्मा	9	216.6 भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर लीजडीड जारी करने हेतु मूल दरतावेजात में भिन्नता के सम्बन्ध में।
11.	श्री गोपाल लाल रो-नी पुत्र श्री युल्ली लाल रो-नी	श्री गोपाल लाल रो-नी पुत्र श्री युल्ली लाल रो-नी	30	175.00 भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर लीजडीड जारी करने हेतु मूल दरतावेजात गुम हो जाने के सम्बन्ध में।
12.	श्रीमती अलका जौन पत्नी श्री गणेश कुमार जौन	श्री माधारी कुमार जौन पुत्र श्री छन्द्रगल जौन	11	216.6 भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर लीजडीड जारी करने हेतु अपंजीकृत दरतावेजात के सम्बन्ध में।
13.	श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री नरेश्वर रिंड	श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री नरेश्वर रिंड	28	272.27 भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर लीजडीड जारी करने हेतु मूल दरतावेजात गुम हो जाने के सम्बन्ध में।
14.	श्री दरिनारायण रो-नी पुत्र श्री मूलाराम	श्रीमती प्रेमलता पारीक पत्नी श्री जगदीश नारायण पारीक	20 पूर्णी गाग	116.66 भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर लीजडीड जारी करने हेतु नियमन के सम्बन्ध में।
15.	श्री रोशन लाल रो-नी पुत्र श्री सत्यनारायण रो-नी	सायरा वानों पत्नी नवी मोहम्मद	5 व 6 उत्तरी गाग	150.00 भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर लीजडीड जारी करने हेतु अपंजीकृत दरतावेजात के सम्बन्ध में।
16.	श्री तुलसीदास रो-नी पुत्र श्री मारटर नानगराम	श्री तुलसीदास रो-नी पुत्र श्री मारटर नानगराम रो-नी	4 भैरव गृ.नि.स.स.	उधोग नगर लीजडीड जारी करने हेतु भूखण्ड की आपत्ति के सम्बन्ध में।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वरभाष-(+91-141-2570256) : ईपीवीएस-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : rajasthan.gov.in




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सेती

17	श्री कंताश श्रीमती चंदा देवी शाह अग्नियाल पुत्र श्री पत्नी श्री रमेश चन्द कंदारमल अग्नियाल शाह	24वी	106.66	मेरव गृनि.स.स.	उद्योग नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	मूख्यमंड की आपत्ति व सम्बन्ध में।
18	श्रीमती गायत्री दर्वी श्री नरन्द कुमार पुत्र पत्नी श्री कंदारमल श्री गोपीकृष्ण अग्नियाल व राजेश कुमार एलानी पुत्र श्री तुलसीदास ऐलानी	27	मेरव गृनि.स.स.	उद्योग नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	मूख्यमंड की आपत्ति व सदस्यता सूची ने नम अंकित नहीं होने के सम्बन्ध में।
19	श्री घनश्याम पारीक पुत्र श्री लक्ष्मीराम घगनलाल पारीक	6 उत्तरी भाग	145.00	मित्र गृनि.स.स.	चौमू रोड	लीजडीड जारी करने हेतु	उक्त के पेटे जना मूल रसीद के सम्बन्ध में।
20.	श्री रामकिशोर पुत्र श्री लक्ष्मीराम श्री लक्ष्मीराम	6 दक्षिणी भाग	145.00	मित्र गृनि.स.स.	चौमू रोड	लीजडीड जारी करने हेतु	उक्त के पेटे जना मूल रसीद के सम्बन्ध में।
21.	श्री गंगाराम पुत्र श्री सेठराम	11	477.77	मित्र गृनि.स.स.	चौमू रोड	लीजडीड जारी करने हेतु	जारी आवंटन पत्र मे कांट छांट के सम्बन्ध में।
22.	श्री गोपाल लाल डोई पुत्र श्री लक्ष्मीराम माली कालराम डोई	5	284.44	मित्र गृनि.स.स.	चौमू रोड	लीजडीड जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात के सम्बन्ध में।
23	श्रीमती नारंगी देवी श्री सीताराम पुत्र श्री भंवरलाल	15वी नया 137 पुराना	274.00	म्युचुअल हांको. सासायटील.	स्कीम 25 शिवनगर एवं शिवनगर-द्वितीय		


 उपाध्यक्ष जोन-6

 ज्योति एजेंसी जोन-6
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईमीलीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : {rajasthan.gov.in}

PRO/R-
10/8/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

१०५

→ ०६ / २०२२ / डी-२१७२

दिनांक ८/८/२२



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि— जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम कराये।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-०६/२२/डी-२४/।।।

१०८/२२

१०८
दिनांक:
उम्मीदवारा जान-८
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीवीएक्स-0141-7118...एक्सटेशन:(7118):

ई-मेल : {rajasthan.gov.in}

PRO/R-
107.8/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा / उपा जोन-08/2022 / डी-2172

दिनांक 5/8/22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पटटे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री सीताराम शर्मा	श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री गुलाब चन्द जैन	03	574 व.ग.	दी कृष्णा गृ.नि. स.स.	दुसाद नगर प्रथम	पट्टा	मृत्यू प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक्कत्याग पत्र दिनांक 31.08.20

उपायुक्त, जोन-8
जविप्रा, जयपुर

✓ जैन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना/विज्ञप्ति का प्रकाशन नियमानुसार करवाकर अवगत करवाएं।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

रिंच्यु नगर को.ओ.सो.लि. की आवासीय योजना एकता नगर का आवंटन/नियमन करने हेतु एकता नगर विकारा रामिति द्वारा रिकॉर्ड प्ररतुत किया गया है जो ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अग्रलिखित खंसरा नगर के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सूचित है :-

क्र.सं.	ग्राम व तहसील	खसरा नंबर	रकवा (हैक्टेयर)	सम्पूर्ण/आंशिक	रकवा व.मी.	वर्तमान खातेदार का नाम
1	ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर	348	0.43	आंशिक	3288.35	
		349	0.10	सम्पूर्ण	1000.00	
		350	0.04	सम्पूर्ण	400.00	
		351	0.01	सम्पूर्ण	100.00	
		352	0.05	आंशिक	261.62	
		353	5.14	आंशिक	12000.67	
		402	0.28	आंशिक	671.95	
		423	0.06	आंशिक	500.00	
		424	0.62	आंशिक	5493.07	
		427	0.23	आंशिक	2026.20	
		428	0.04	आंशिक	371.09	
		429	0.10	आंशिक	1266.48	
		कुल		7.10 हैक्टेयर में से 2.74 हैक्टैयर योजना मानवित्र के अनुसार।	27379.38	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		12				

विकास समिति द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की सूची प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है -

क्र. सं.	भुखण्ड संख्या	आवंटी का नाम	पिता/पति का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग गज)
1.	1	शिव सहाय नापीत	महादेव	122.22
2.	2	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
3.	2A	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
4.	3	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
5.	4	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
6.	4B	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
7.	5	भागीरथ	किशन लाल	130.00
8.	6	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
9.	7	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
10.	13A	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
11.	12(N) उत्तरी हिस्सा	रीता देवी	रणजीत सिंह मानावास	44.44
12.	12(S) दक्षिणी हिस्सा	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
13.	12	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	होरी लाल गुप्ता	100.00
14.	7	विमला देवी	दयाल सिंह	100.00
15.	10	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
16.	9B	विद्या देवी	अमृत सिंह जाटव	83.33
17.	9A	विद्या देवी	अमृत सिंह जाटव	83.33
18.	8A	करतार सिंह	रामनारायण	77.50
19.	8B	नीता	करतार सिंह	82.50
20.	7B	नरेन्द्र कुमार	रामजी लाल	344.81
21.	14A	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
22.	14B	श्रवण कुमार खींची	पेमाराम	134.16



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

23.	15	दिनेश कुमार जैन	मालीराम जैन	165.27
24.	15A	दिनेश कुमार जैन	मालीराम जैन	165.27
25.	16	लाली देवी	हरजी राम	200.00
26.	17	प्रेम कान्ता	राजेन्द्र प्रसाद	200.00
27.	18	राजभारती उर्फ कैकरी	रामराज	358.79
28.	19(N) उत्तरी हिस्सा	—डेटा उपलब्ध नहीं	—डेटा उपलब्ध नहीं	-----
29.	19(S) दक्षिणी हिस्सा	कान्ता	राम कुमार	33.33
30.	19A	पुष्पा पिंगोलिया	अजय कुमार वर्मा	66.66
31.	19B	कैशन्ता देवी	रामलाल बैरवा	66.66
32.	20A	राजकुमार रैगर	धन्ना लाल रैगर	125.00
33.	20B1	—डेटा उपलब्ध नहीं	—डेटा उपलब्ध नहीं	-----
34.	20B2	महेन्द्र बिश्वास	असित बिश्वास	41.66
35.	20B(E)	—डेटा उपलब्ध नहीं	—डेटा उपलब्ध नहीं	-----
36.	20I	—डेटा उपलब्ध नहीं	—डेटा उपलब्ध नहीं	-----
37.	20	काली देवी	रमेश चन्द रैगर	70.00
38.	20S	—डेटा उपलब्ध नहीं	—डेटा उपलब्ध नहीं	-----
39.	21	रमेशचन्द	मूलचन्द	200.00
40.	21	विजयकुमारी	रामराज	200.00
41.	21A	अन्जुलता जैन	दिनेश कुमार जैन	166.66
42.	21A II	अन्जुलता जैन	दिनेश कुमार जैन	166.66
43.	21A II	निरमला देवी	छोटेलाल	162.50
44.	67	—डेटा उपलब्ध नहीं	—डेटा उपलब्ध नहीं	-----
45.	66	संतोष देवी बैरवा	पुरण चन्द बैरवा	272.22
46.	65A	कमल सिंह बैरवा पुत्र श्री कर्हैयालाल बैरवा एवं प्रेम चन्द बैरवा पुत्र श्री कर्हैयालाल बैरवा	—	111.11
47.	65	गायत्री देवी शर्मा	विष्णु कुमार शर्मा	111.11
48.	65B	मन्नी देवी	रामरेख गोलिया	166.66
49.	36	—डेटा उपलब्ध नहीं	—डेटा उपलब्ध नहीं	-----
50.	59	सन्तोष देवी मौर्य	आनन्दीलाल मौर्य	175.00
51.	59A	सन्तोष देवी मौर्य	आनन्दीलाल मौर्य	175.00
52.	60	राकेश फुलचन्द	पौचूराम मौर्य	175.00
53.	60A	आनन्दीलाल मौर्य	पौचूराम मौर्य	175.00
54.	61	दिनेश कुमार जैन	मालीराम जैन	302.00
55.	62	रजनी शर्मा	रघुनन्दन शर्मा	195.00
56.	63	नाथूलाल मीणा	महादेव मीणा	68.05
57.	63A	बिरुद्धीचन्द रैगर	रामकरण रैगर	133.00
58.	21B I	बसन्ती देवी बैरवा	रामजीलाल	223.61
59.	21B	बसन्ती देवी	रामजीलाल बैरवा	215.00
60.	21C	सजनी पंवार	राधेश्याम पंवार	283.00
61.	21D & E	अनार देवी	रामदयाल	222.22
62.	15A(S) दक्षिणी हिस्सा	सत्यनारायण नायक	गंगाराम नायक	83.33
63.	15A(N) उत्तरी हिस्सा	गोपाल लाल नायक	गंगाराम नायक	83.33
64.	15	—डेटा उपलब्ध नहीं	—डेटा उपलब्ध नहीं	-----
65.	13A	राजकुमारी वर्मा	राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	133.33
66.	58	पूरण मल मौर्य	गोविंद राम मौर्य	111.11
67.	57	—डेटा उपलब्ध नहीं	—डेटा उपलब्ध नहीं	-----



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

68.	56	ॐ प्रकाश मौर्य	गोविन्दराम मौर्य	111.11
69.	33	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
70.	35B	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
71.	35	नीतू देवी	बनवारीलाल	66.66
72.	37	विरदी देवी	विरदा राम खोलीया	133.00
73.	38B	जगदीश प्रसाद वैरवा	मांगीलाल वैरवा	55.00
74.	38A	पपूलाल वैरवा	मांगीलाल वैरवा	55.00
75.	38	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
76.	39	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
77.	40	सुगना बासीवाल	जयनारायण बासीवाल	95.00
78.	41	गुलाब	रामअवतार	95.00
79.	61A	अंजुलता जैन	दिनेश कुमार जैन	416.00
80.	42A	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
81.	42A	लालचन्द पुत्र गिरधारी एवं जगदीश पुत्र सुआ लाल	जगदीश पुत्र सुआ लाल	150.00
82.	42	रतन लाल साभरीया	पाँचु राम साभरीया	150.00
83.	43	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
84.	44	गणपत, मांगीलाल एवं ताराचन्द मौर्य	नन्दाराम मौर्य	280.00
85.	45B	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
86.	45A	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
87.	45	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
88.	46	राजूलाल एवं बाबूलाल मौर्य	गोविन्द नारायण मौर्य	253.00
89.	47B	राजन्ती देवी	राजेन्द्र प्रसाद रैगर	80.00
90.	47A	आशा देवी	हरिकेश वर्मा	83.77
91.	48A	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
92.	48B	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
93.	48	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
94.	48A	शांति देवी	बाबूलाल	100.00
95.	51A	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
96.	51	सरोज देवी	रामनिवास जाटव	123.33
97.	50	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
98.	50A	मांगी देवी कंवरिया	गोविन्द राम कंवरिया	100.00
99.	53B	दिलीप मौर्य	लालूराम मौर्य	104.44
100.	53A	घनश्याम मौर्य	लालूराम मौर्य	104.44
101.	53	सुरेश मौर्य	लालूराम मौर्य	104.44
102.	77	मोहन लाल मौर्य	नाथूलाल मौर्य	267.00
103.	74	जमना देवी	रामप्रसाद मीणा	158.00
104.	73	कमला देवी	राम गोपाल	162.00
105.	72	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
106.	71	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-डेटा उपलब्ध नहीं-	-----
107.	71A	कमला देवी	चुनी लाल	103.00
108.	70	शान्ति देवी	छीतर	75.00
109.	70A	दिनेश कुमार वर्मा	भौरीलाल	75.00
110.	69A	भौरीलाल रैगर	मेवाराम रैगर	111.11
111.	69	जगदीश नारायण वर्मा	श्योबक्स वर्मा	111.11
112.	68	भृधरलाल बन्जारा	सज्जन सिंह बन्जारा	111.11
113.	68A I	पाना देवी	कन्हैया लाल रैगर	75.00
114.	68A	सजीदा विवी	इदरिश अली	74.53

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स: +91-141-2569555 लोन-9

जयपुर, राजस्थान-302004



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

115.	68C	—डेटा उपलब्ध नहीं—	डेटा उपलब्ध नहीं—	-----
116.	84A	—डेटा उपलब्ध नहीं—	डेटा उपलब्ध नहीं—	-----
117.	84	—डेटा उपलब्ध नहीं—	डेटा उपलब्ध नहीं—	-----
118.	77A	अनोखी देवी	रामप्रराद	211.00
119.	77	दशरथ लाल जांगिंड	रामराय जांगिंड	238.88
120.	82	मोतीलाल मौर्य	बदरी नारायण मौर्य	303.33
121.	81	—डेटा उपलब्ध नहीं—	डेटा उपलब्ध नहीं—	-----
122.	81A	—डेटा उपलब्ध नहीं—	डेटा उपलब्ध नहीं—	-----
123.	80	गोपाल लाल मौर्य	रामनारायण	276.11
124.	91	लालचन्द रेगर एवं गोरखन लाल रेगर	नाथूलाल रेगर	133.33
125.	90	नैनुराम	गोपीराम	126.38
126.	88A	सुरेश चन्द कंवरिया	सुखराम कंवरिया	92.00
127.	88	मांगीलाल कंवरिया	श्रवण लाल	183.33
128.	88B	—डेटा उपलब्ध नहीं—	डेटा उपलब्ध नहीं—	-----
129.	87B	—डेटा उपलब्ध नहीं—	डेटा उपलब्ध नहीं—	-----
130.	87A	विमला देवी	मान सिंह	30.00
131.	87	गोपाल लाल मौर्य	रामनारायण	169.47
132.	87A	रामदयाल मौर्य	रामनारायण	178.84
133.	86A	कन्हैयालाल	बदरीलाल रेगर	113.00
134.	86	जगदीश प्रसाद रेगर	कल्याण रेगर	107.55
135.	85	धन्नी देवी	मोतीलाल मौर्य	130.00
136.	99A	कन्हैया लाल	नरसी लाल रेगर	216.88
137.	99	सीताराम	पाँचूराम मौर्य	180.55
138.	100	विमला देवी	सीताराम मौर्य	180.55
139.	97C	मंगलराम मौर्य	पाँचूराम	244.00

उक्त योजना का मानवित्र एवं सदर्यता सूची जविप्रा वेब साईट पर अपलोड है। योजना मानवित्र एवं सदर्यता सूची के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करायें अन्यथा नियमन सम्बन्धी कार्यवाही कर दी जावेगी। कृपया उक्त आम सूचना का प्रकाशन जविप्रा रत्तर पर कराने का श्रम करायें।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
उपायकृत जोन-9
जविप्रा, जयपुर
जोन-9, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक/डी- ५००७
 दिनांक १०/८/२०२१